

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2374

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

सीएसआर के अधीन व्यय की गई राशि

2374. श्रीमती छाया वर्मा:

चौधरी सुखराम सिंह यादव:

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत मंत्रालय के अधीन विभिन्न कंपनियों द्वारा पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) इन वर्षों में व्यय की गई राशि का राज्य-वार, जनपद-वार तथा मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीएसआर जारी करने के लिए गत तीन वर्षों में कितने आवेदन आए और उन आवेदनों पर विचार हेतु मानक क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सीएसआर के तहत कितनी राशि जारी की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2375

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

2375. श्री के. आर. अर्जुननः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिवेदन के अनुसार कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे विद्युत संयंत्रों की संख्या 1 अप्रैल, 2018 को 30 के मुकाबले जुलाई, 2018 में 13 हो गई है क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और रेलवे ने अतिरिक्त आपूर्ति बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्युत संयंत्रों को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाने वाली आपूर्ति में भी 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : जी, हाँ।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित डेली कोल रिपोर्ट (डीसीआर) के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को 13 विद्युत संयंत्र में क्रिटिकल कोयला स्टॉक था और 17 विद्युत संयंत्रों में सुपर क्रिटिकल कोयला स्टॉक था जो दिनांक 02 जुलाई, 2018 को घटकर क्रमशः 6 और 7 रह गई है। दिनांक 01 अगस्त, 2018 की स्थिति के अनुसार यह संख्या और घटकर 11 (6 विद्युत संयंत्र क्रिटिकल कोयला स्टॉक वाले और 5 विद्युत संयंत्र सुपर क्रिटिकल स्टॉक वाले) रह गई है।

(ग) और (घ) : अप्रैल से जुलाई, 2018 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत क्षेत्र को 161.72 एमटी कोयला भेजा गया था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 140.56 एमटी कोयला भेजा गया था जो 15.1% की वृद्धि दर्शाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2376

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

2376. श्री के. आर. अर्जुननः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयले के भंडार में वृद्धि से विद्युत निर्माण में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विद्युत ऊर्जा के सृजन में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और भारत की सबसे बड़ी विद्युत ऊर्जा उत्पादक कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) के उत्पादन में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : जी, हाँ।

चालू वर्ष 2018-19 (जून, 2018 तक) के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से कोयले की आपूर्ति में लगभग 15% की वृद्धि हुई थी। इससे कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली है।

चालू वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही के दौरान, ताप विद्युत उत्पादन में 5.69% की वृद्धि हुई थी और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) के विद्युत संयंत्रों से ताप विद्युत के उत्पादन में 7.76% की वृद्धि हुई थी। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2376 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान कुल ताप विद्युत और उत्पादन में वृद्धि तथा एनटीपीसी द्वारा उत्पादित ताप विद्युत और इसी अवधि के दौरान उत्पादन की वृद्धि का ब्यौरा

श्रेणी	उत्पादन (एमयू में)		% वृद्धि
	2017-18 की प्रथम तिमाही	2018-19 की प्रथम तिमाही	
ताप विद्युत उत्पादन (अखिल भारत)	261664.36	276562.35	5.69
एनटीपीसी से ताप विद्युत उत्पादन	63210.91	68115.18	7.76

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2377

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

पश्चिमी बंगाल में बाढ़

2377. श्री रीताब्रता बनर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) पश्चिमी बंगाल सरकार से परामर्श किए बिना पानी छोड़ रहा है, जिससे पिछले दो वर्षों से राज्य में बाढ़ आ रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) पिछले तीन वर्षों में कितना पानी छोड़ा गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम जलाशयों का प्रवाह नियंत्रण सदस्य (नदी प्रबंधन), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता में गठित दामोदर घाटी जलाशय विनियम समिति (डीवीआरआरसी) द्वारा किया जाता है और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार और दामोदर घाटी निगम के प्रतिनिधि भी होते हैं। दामोदर घाटी निगम के जलाशयों से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा पर परामर्श जारी करने से पहले, सदस्य (सचिव), डीवीआरआरसी पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार और दामोदर घाटी निगम के प्रतिनिधियों से वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हैं।

(ग) : विगत 3 वर्षों के दौरान छोड़े गए पानी का सार नीचे दिया गया है:

2015-16	मानसून (जून-अक्टूबर) में 4245 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) और गैर-मानसून (नवंबर-मई) में 175 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम)
2016-17	मानसून (जून-अक्टूबर) में 5009 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) और गैर-मानसून (नवंबर-मई) में 914 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम)
2017-18	मानसून (जून-अक्टूबर) में 5190 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) और गैर-मानसून (नवंबर-मई) में 1056 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2378

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

मान्नावरम में विद्युत उपकरण विनिर्माण इकाई

2378. डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मान्नावरम में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के सहयोग से स्थापित विद्युत उपकरण विनिर्माण इकाई बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना के संयुक्त उद्यम से एनटीपीसी भेल से अलग होना चाहता है; और

(घ) इस संयंत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कितने निवेश का वायदा किया गया और कितना निवेश किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : एनटीपीसी लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा 50:50 में प्रवर्तित संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) "एनटीपीसी-भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)", जिसकी विनिर्माण सुविधाएं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मन्नावरम में हैं, का वित्तीय निष्पादन प्रोत्साहनजनक नहीं है और यह जेवीसी वित्तीय वर्ष 2015-16 से घाटे में है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से सूचित हानियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भेल बोर्ड ने दिनांक 08 फरवरी, 2018 को हुई अपनी बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने की कार्रवाई के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। एनबीपीपीएल को छोड़ने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है।

ऐसी सुविधाएं, जिनमें कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) का विनिर्माण शामिल है, स्थापित करने के लिए एनबीपीपीएल द्वारा दिनांक 30 जून, 2018 तक लगभग 130 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसके लिए एनटीपीसी लिमिटेड और भेल प्रत्येक द्वारा इक्विटी पूंजी के रूप में 50 करोड़ रुपये का योगदान किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2379

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन
2379. श्री राम विचार नेताम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले समेत सभी जिलों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किये गए गांवों की संख्या कितनी है और राज्य में अविद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या शेष गांवों को विद्युतीकृत करने के लिये कोई कदम उठाया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्य-निष्पादन की छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण देश के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, राज्य में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य की प्रगति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	मद	संचयी प्रगति
1.	33/11 केवी के नए सब-स्टेशन	29
2.	33/11 केवी के सब-स्टेशन की वृद्धि	45
3.	वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर)	3303
4.	फीडर पृथक्करण (11 केवी को छोड़कर)	543.33 सर्किट किलोमीटर
5.	एलटी लाइन	3878.72 सर्किट किलोमीटर
6.	11 केवी लाइन (फीडर पृथक्करण को छोड़कर)	2141 सर्किट किलोमीटर
7.	33/66 केवी लाइन	296.96 सर्किट किलोमीटर
8.	ऊर्जा मीटर-उपभोक्ता	836
9.	ऊर्जा मीटर-11 केवी फीडर	2113
10.	गाँवों का सघन विद्युतीकरण	1566
11.	बीपीएल घरों को कनेक्शन	54267

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ में सभी आवासित जनगणना गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है। विगत 3 वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2017-18 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 1,047 गैर-विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	विद्युतीकृत गाँवों की संख्या
1.	2015-16	405
2.	2016-17	294
3.	2017-18	348
कुल		1,047

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2380

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

‘उदय’ योजना के अधीन राज्यों को सब्सिडी के संवितरण में विलंब

2380. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में अनुमोदित शुल्क वृद्धि इन राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के सहमति जापन में निर्धारित शुल्क वृद्धि से कम है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि देर से या कम सब्सिडी संवितरित करने से विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) के पास कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप उनके लिए घाटा कम करने हेतु अवसंरचनात्मक सुधारों को कार्यान्वित करना कठिन हो जाता है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि राज्यों द्वारा वित्त वर्ष 2016 में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दर्ज 57,680 करोड़ रुपये की सब्सिडी में से 96 प्रतिशत से भी कम राशि जारी की गई; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) सामान्यतः वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लागत और व्यय के लगभग उपलब्ध पारंपरिक आंकड़ों के आधार पर प्रशुल्क में वृद्धि निर्धारित करते हैं और दक्ष तथा स्वीकार्य लागतों को ही पास-थू करते हैं। इस प्रकार, उदय के अंतर्गत प्रशुल्क ट्रेजेक्ट्रियों के दीर्घकालीन प्रक्षेपणों से धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों सूक्ष्म अंतर संभव है।

(ख) से (घ) : उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी की घोषणा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और डिस्कॉम द्वारा इसे उपभोक्ताओं तक इस प्रत्याशा में बढ़ा दिया जाता है कि राज्यों द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। सब्सिडी जारी करने में देरी डिस्कॉमों की नकद प्रवाह स्थिति को प्रभावित करती है। संपूर्ण देय सब्सिडी का भुगतान न होने से डिस्कॉमों के राजस्व में कमी होती है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा 2015-16 में प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार राज्यों ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 55,283 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है जबकि बुक की गई कुल सब्सिडी 57,680 करोड़ रुपये थी। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2380 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वितरण यूटिलिटीयों के लिए बुक की गई सब्सिडी और प्राप्त की गई सब्सिडी

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2015-16		
			बुक की गई सब्सिडी (₹. करोड़)	प्राप्त की गई सब्सिडी (₹. करोड़)	बुक की गई सब्सिडी का प्राप्त की गई सब्सिडी का (%)
पूर्वी	बिहार	एनबीपीडीसीएल	1,579	1,579	100.00
		एसबीपीडीसीएल	2,811	2,811	100.00
	बिहार कुल		4,390	4,390	100.00
	झारखण्ड	जेबीवीएनएल	1,600	1,600	100.00
	झारखण्ड कुल		1,600	1,600	100.00
	ओडिशा	सीईएसयू	0	0	
		एनईएससीओ यूटिलिटी	0	0	
		एसईएससीओ यूटिलिटी	0	0	
		डब्ल्यूईएससीओ यूटिलिटी	0	0	
	ओडिशा कुल		0	0	
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	0	0	
	सिक्किम कुल		0	0	
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	0	0	
पश्चिम बंगाल कुल		0	0		
पूर्वी कुल			5,990	5,990	100.00
पूर्वात्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	0	0	
	अरुणाचल प्रदेश कुल		0	0	
	असम	एपीडीसीएल	335	245	73.20
	असम कुल		335	245	73.20
	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	216	216	100.00
	मणिपुर कुल		216	216	100.00
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	24	24	100.00
	मेघालय कुल		24	24	100.00
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	142	142	100.00
	मिजोरम कुल		142	142	100.00
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	0	0	
	नागालैंड कुल		0	0	
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	69	40	57.97
त्रिपुरा कुल		69	40	57.97	
पूर्वात्तर कुल			785	666	84.88
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	0	0	
		बीएसईएस यमुना	0	0	
		टीपीडीडीएल	0	0	
	दिल्ली कुल		0	0	
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	2,529	2,529	100.00
		यूएचबीवीएनएल	3,794	3,794	100.00
	हरियाणा कुल		6,323	6,323	100.00
हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लिमिटेड	0	0		
हिमाचल प्रदेश कुल		0	0		
जम्मू एवं कश्मीर	जेएण्डके पीडीडी	0	0		
जम्मू एवं कश्मीर कुल		0	0		
पंजाब	पीएसपीसीएल	5,761	4,847	84.14	

	पंजाब कुल		5,761	4,847	84.14
	राजस्थान	एवीवीएनएल	557	557	100.00
		जेडीवीवीएनएल	472	472	100.00
		जेवीवीएनएल	755	755	100.00
	राजस्थान कुल		1,784	1,784	100.00
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	2,884	2,757	95.59
		केईएससीओ	6	6	100.00
		एमवीवीएन	1,593	1,593	100.00
		पश्च वीवीएन	1,241	1,173	94.57
		पूर्व वीवीएन	3,001	3,001	100.00
	उत्तर प्रदेश कुल		8,724	8,530	97.77
	उत्तराखण्ड	उत् पीसीएल	0	0	
	उत्तराखण्ड कुल		0	0	
उत्तरी कुल			22,593	21,484	95.10
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल	868	868	100.00
		एपीएसपीडीसीएल	2,318	2,318	100.00
	आंध्र प्रदेश कुल		3,186	3,186	100.00
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	1,616	1,554	96.16
		सीएचईएससीओएम	1,042	1,042	100.00
		जीईएससीओएम	0	0	
		एचईएससीओएम	3,076	2,307	74.99
		एमईएससीओएम	511	470	91.94
	कर्नाटक कुल		6,245	5,372	86.03
	केरल	केएसईबीएल	0	0	
	केरल कुल		0	0	
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	3	0	0.00
	पुडुचेरी कुल		3	0	0.00
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	7,695	7,695	100.00
	तमिलनाडु कुल		7,695	7,695	100.00
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	3,533	3,239	91.67
		टीएसएसपीडीसीएल	724	724	100.00
	तेलंगाना कुल		4,257	3,963	93.08
दक्षिणी कुल			21,386	20,216	94.53
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	407	407	100.00
	छत्तीसगढ़ कुल		407	407	100.00
	गोवा	गोवा पीडी	0	0	
	गोवा कुल		0	0	
	गुजरात	डीजीवीसीएल	49	49	100.00
		एमजीवीसीएल	74	74	99.99
		पीजीवीसीएल	441	441	100.00
		यूजीवीसीएल	536	536	100.00
	गुजरात कुल		1,100	1,100	100.00
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	1,464	1,464	100.00
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	3,000	3,000	100.00
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	954	954	100.00
	मध्य प्रदेश कुल		5,418	5,418	100.00
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	0	0	
	महाराष्ट्र कुल		0	0	
पश्चिमी कुल			6,925	6,925	100.00
सकल योग			57,680	55,283	95.84

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2381

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों के लिए ब्लैंडिंग स्कीम

2381. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की उन संयंत्रों में, जहां ईंधन की लागत अधिक है, ब्लैंडिंग स्कीम शुरू करने की योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना से विद्युत वितरण कंपनियों को लाभ होने की संभावना है और यदि कोई बचत होगी तो वह वितरकों व विकासकर्ताओं में बराबर-बराबर विभाजित होगी;
- (घ) क्या यह भी सच है कि नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से उत्पादित विद्युत के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली प्रभार नहीं लगता है, जिसके कारण विद्युत वितरण कंपनियों के लिए यह योजना और भी आकर्षक हो गई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : "ब्लैंडिंग स्कीम" नामक किसी स्कीम के लिए कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ) : दिनांक 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित संशोधित टैरिफ नीति के पैरा 6.4(6) में यह प्रावधान किया गया है कि "ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को आगे प्रोत्साहन देने के लिए, अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु ऊर्जा के सौर और पवन स्रोतों से उत्पादित विद्युत के पारेषण पर कोई भी अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रभार और हानियां उस अवधि तक, जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, नहीं लगाई जाएंगी"।

तदनुसार, भारत सरकार ने पवन स्रोतों पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की छूट के संबंध में दिनांक 30 सितंबर, 2016 को एक आदेश जारी किया है। यह आदेश दिनांक 14 जून, 2017 को संशोधित किया गया था और सौर परियोजनाएं भी शामिल की गई थीं। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च, 2022 तक प्रतिस्पर्धी बोली पर चालू की जाने वाली सौर और पवन स्रोत आधारित उत्पादन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत पर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों और पारेषण पर हुई हानियों से छूट बढ़ाने के लिए दिनांक 13 फरवरी, 2018 को एक आदेश जारी किया है। यह छूट इस तरह की परियोजनाओं के चालू होने की तारीख से 25 वर्षों के लिए है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2382

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

झारखंड हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता

2382. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त उद्देश्य हेतु अपेक्षित निधियों को स्वीकृत करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2383

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

एयरकंडीशनिंग के क्षेत्र में ऊर्जा की बचत

2383. श्री सुशील कुमार गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने एयर कंडीशनिंग के क्षेत्र में ऊर्जा की बचत (ऊर्जा दक्षता) को प्रोत्साहन देने के लिए एयर कंडीशनर विनिर्माताओं से उनके द्वारा निर्मित इकाइयों की डिफॉल्ट सेटिंग को विनियंत्रित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कोई अध्ययन करवाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन से प्राप्त सुझाव और निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : गर्मी के दौरान, यह अनुमान लगाया गया है कि आमतौर पर भवनों में एयर कंडीशनर विद्युत की अधिकतम खपत करते हैं, जिसमें वाणिज्यिक अथवा आवासीय भवनों के मामले में 50% से अधिक की खपत होती है।

कमरे का एयर कंडीशनिंग तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से लगभग 6% विद्युत की बचत होती है। सामान्यतः, एयर कंडीशनिंग तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जाता है, जबकि आदर्श/ईष्टतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक एयर कंडीशनिंग तापमान

में परिवर्तन करने से लगभग 24% विद्युत की बचत होगी। यह उत्सर्जन में कमी करेगा और फलस्वरूप पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, यह धन की बचत करेगा और यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।

स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, एयर कंडीशनरों का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के इष्टतम स्तर पर सेट करने की सिफारिश करते हुए स्वैच्छिक दिशा-निर्देश बनाए हैं। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 22 जून, 2018 को एयर कंडीशनर (एसी) के विनिर्माताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें एसी की डिफाल्ट तापमान सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने का सुझाव दिया गया था।

उपरोक्त स्वैच्छिक दिशा-निर्देश बड़ी वाणिज्यिक स्थापनाओं जैसे होटलों, हवाई अड्डों, सरकारी कार्यालय परिसरों और बड़े संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए संस्तुत किए गए हैं।

(ग) और (घ) : इस संबंध में, बीईई द्वारा कोई पृथक अध्ययन नहीं किया गया है। बीईई ने आईआईटी, खड़गपुर पब्लिकेशन (112105129 वर्जन 1 एमई) संदर्भित किया है जिसमें 50 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता और 0.15 मी/सेकंड वायु संवेग पर उपयुक्त कपड़ों के साथ गर्मी के मौसम के लिए 24.5 डिग्री सेल्सियस क्रियाशील और इष्टतम तापमान की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजिरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (एएसएचआरई) द्वारा किया गया तकनीकी विश्लेषण भी यह दर्शाता है कि स्थिर स्थिति पर वांछित आरामदायक स्तर हासिल करने के लिए तापमान आर्द्रता और एयर मूवमेंट के अपेक्षित स्तर पर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जा सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2384

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता से अधिक उपयोग

2384. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जलाशयों में जल की कमी के कारण जल-विद्युत उत्पादन इकाइयां द्वारा विद्युत उत्पादन अनुमान से 88 प्रतिशत ही होने के कारण उत्पन्न बिजली की कमी को पूरा करने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों ने अपने लक्ष्यों से अधिक कार्य किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ विद्युत संयंत्रों ने अप्रैल-मई की अवधि में अपने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य का 103 प्रतिशत विद्युत उत्पादन किया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सभी स्रोतों (जल विद्युत, नाभिकीय, ताप और नवीकरणीय ऊर्जा आदि) से उत्पादन की गई विद्युत का उपयोग किया जाता है। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर, यदि कोई हो, ताप विद्युत उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया जाता है। अप्रैल-मई, 2018 के दौरान, जल विद्युत उत्पादन लक्ष्य का क्रमशः 87.29% और 90.35% था। जल विद्युत संयंत्रों से कम उत्पादन के कारण अंतर को ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाकर पूरा किया गया था जिन्होंने लक्ष्य का 103% से 104% उत्पादन किया। अप्रैल, 2018 से मई, 2018 के लिए परंपरागत स्रोतों से श्रेणी-वार उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, जो अप्रैल, 2018 से मई, 2018 में उनके निर्धारित उत्पादन लक्ष्य के 103% से अधिक पर प्रचालित थे, का ब्यौरा अनुबंध-II और अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल, 2018 व मई, 2018 के लिए परंपरागत स्रोतों से श्रेणी-वार उत्पादन का ब्यौरा

श्रेणी	अप्रैल, 2018 के लिए उत्पादन			मई, 2018 के लिए उत्पादन		
	लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक (एमयू)	लक्ष्य का %	लक्ष्य (एमयू)	वास्तविक (एमयू)	लक्ष्य का %
थर्मल	90157	93004.29	103.16	92869	96892.82	104.33
न्यूक्लियर	2508	3306.44	131.84	2716	3187.08	117.34
हाइड्रो	8657	7556.81	87.29	11820	10679.36	90.35
भूटान से आयात	175	23.31	13.32	325	312.06	96.02
कुल	101497	103890.9	102.36	107730	111071.3	103.10

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विवरण जो अप्रैल, 2018 में अपने निर्धारित जनरेशन लक्ष्य के 103 प्रतिशत से अधिक पर संचालित था

स्टेशन का नाम	राज्य	क्षमता
अकलतारा टीपीएस	छत्तीसगढ़	1800
अमरावती टीपीएस	महाराष्ट्र	1350
अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	मध्य प्रदेश	450
अनपरा सी टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1200
अनुपपुर टीपीपी	मध्य प्रदेश	1200
बदरपुर टीपीएस	दिल्ली	705
बंदाखार टीपीपी	छत्तीसगढ़	300
बारादरहा टीपीएस	छत्तीसगढ़	1200
बरौनी टीपीएस	बिहार	810
बाढ़-II	बिहार	1320
बेल्लारी टीपीएस	कर्नाटक	1700
भिलाई टीपीएस	छत्तीसगढ़	500
भुसावल टीपीएस	महाराष्ट्र	1470
बिंजकोट टीपीपी	छत्तीसगढ़	600
बोकारो टीपीएस 'ए' एक्स.	झारखंड	500
बोकारो 'बी' टीपीएस	झारखंड	210
बोंगाईगांव टीपीपी	असम	500
बज बज टीपीएस	पश्चिम बंगाल	750
डी.पी.एल. टी पी एस	पश्चिम बंगाल	940
दादरी (एनसीटीपीपी)	उत्तर प्रदेश	1820
दहानू टीपीएस	महाराष्ट्र	500
दामोदरम संजीवियाह टीपीएस	आंध्र प्रदेश	1600
देरांग टीपीपी	ओडिशा	1200
धारीवाल टीपीपी	महाराष्ट्र	600
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	पश्चिम बंगाल	1000
दुर्गापुर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	350
डॉ एन टाटा राव टीपीएस	आंध्र प्रदेश	1760
गांधी नगर टीपीएस	गुजरात	630
जीएमआर वरौरा टीपीएस	महाराष्ट्र	600
हल्दिया टीपीपी	पश्चिम बंगाल	600
जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	महाराष्ट्र	1200
कहलगाँव टीपीएस	बिहार	2340
काकातिया टीपीएस	तेलंगाना	1100
कमलंगा टीपीएस	ओडिशा	1050
कसाईपल्ली टीपीपी	छत्तीसगढ़	270
खापरखेड़ा टीपीएस	महाराष्ट्र	1340
कोडरमा टीपीपी	झारखंड	1000
कोलडैम टीपीएस	पश्चिम बंगाल	1260
कोरबा एसटीपीएस	छत्तीसगढ़	2600
कोरबा-III	छत्तीसगढ़	240
कोरबा-वेस्ट टीपीएस	छत्तीसगढ़	1340
कोटा टीपीएस	राजस्थान	1240
कोथागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	720

कोथगुडेम टीपीएस (न्यू)	तेलंगाना	1000
ललितपुर टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1980
महान टीपीपी	मध्य प्रदेश	600
महात्मा गांधी टीपीएस	हरियाणा	1320
मारवा टीपीएस	छत्तीसगढ़	1000
मौदा टीपीएस	महाराष्ट्र	2320
मेजिया टीपीएस	पश्चिम बंगाल	2340
मेटूर टीपीएस	तमिलनाडु	1440
निगरी टीपीपी	मध्य प्रदेश	1320
निवारी टीपीपी	मध्य प्रदेश	45
नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	तमिलनाडु	1830
ओबरा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1094
पैनमपुरम टीपीपी	आंध्र प्रदेश	1320
पानीपत टीपीएस	हरियाणा	920
पारस टीपीएस	महाराष्ट्र	555
पार्ली टीपीएस	महाराष्ट्र	1420
पथाडी टीपीपी	छत्तीसगढ़	600
रघुनाथपुर टीपीपी	पश्चिम बंगाल	1200
रायचूर टीपीएस	कर्नाटक	1720
रायखेड़ा टीपीपी	छत्तीसगढ़	1370
राजीव गांधी टीपीएस	हरियाणा	1200
रामागुंडम एसटीपीएस	तेलंगाना	2600
रतीजा टीपीएस	छत्तीसगढ़	100
साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	गुजरात	362
संजय गांधी टीपीएस	मध्य प्रदेश	1340
सासन यूएमटीपीपी	मध्य प्रदेश	3960
सतपुरा टीपीएस	मध्य प्रदेश	1642.5
एसजीपीएल टीपीपी	आंध्र प्रदेश	1320
श्री सिंघाजी टीपीपी	मध्य प्रदेश	1200
सिक्का आरईपीटीपीएस	गुजरात	500
सिम्हाद्री	आंध्र प्रदेश	2000
सीपत एसटीपीएस	छत्तीसगढ़	2980
सोलापुर	महाराष्ट्र	660
साउदर्न रिपब. टीपीएस	पश्चिम बंगाल	135
स्टेरलाइट टीपीपी	ओडिशा	1200
सुरतगढ़ टीपीएस	राजस्थान	1500
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	ओडिशा	460
तालचेर एसटीपीएस	ओडिशा	3000
टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-1)	कर्नाटक	260
टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-2)	कर्नाटक	600
ट्रॉम्बे टीपीएस	महाराष्ट्र	1400
तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	तमिलनाडु	1000
तूतीकोरिन टीपीएस	तमिलनाडु	1050
उडुपी टीपीपी	कर्नाटक	1200
ऊंचाहार टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1550
वैल्लूर टीपीपी	तमिलनाडु	1500
विंध्याचल एसटीपीएस	मध्य प्रदेश	4760
वानकबोरी टीपीएस	गुजरात	1470
वर्धा वरौरा टीपीपी	महाराष्ट्र	540
यमुना नगर टीपीएस	हरियाणा	600

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2384 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का विवरण जो मई, 2018 में अपने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य के 103 प्रतिशत से अधिक पर संचालित था

स्टेशन का नाम	राज्य	क्षमता
अकलतारा टीपीएस	छत्तीसगढ़	1800
अमरावती टीपीएस	महाराष्ट्र	1350
अमरकंटक एक्सटेंशन टीपीएस	मध्य प्रदेश	450
अनपरा सी टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1200
अनूपपुर टीपीपी	मध्य प्रदेश	1200
बदरपुर टीपीएस	दिल्ली	705
बारादरहा टीपीएस	छत्तीसगढ़	1200
बरौनी टीपीएस	बिहार	810
बाढ़-II	बिहार	1320
बेला टीपीएस	महाराष्ट्र	270
भिलाई टीपीएस	छत्तीसगढ़	500
भुसावल टीपीएस	महाराष्ट्र	1470
बिंजकोट टीपीपी	छत्तीसगढ़	600
बोकारो टीपीएस 'ए' एक्स.	झारखंड	500
बोकारो 'बी' टीपीएस	झारखंड	210
बोंगाईगांव टीपीपी	असम	500
चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	झारखंड	1120
दादरी (एनसीटीपीपी)	उत्तर प्रदेश	1820
दहानू टीपीएस	महाराष्ट्र	500
दामोदरम संजीवैय्या टीपीएस	आंध्र प्रदेश	1600
धारीवाल टीपीपी	महाराष्ट्र	600
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	पश्चिम बंगाल	1000
दुर्गापुर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	350
डॉ. एन.टी. राव टीपीएस	आंध्र प्रदेश	1760
फरक्का एसटीपीएस	पश्चिम बंगाल	2100
गांधी नगर टीपीएस	गुजरात	630
जीएमआर वरौरा टीपीएस	महाराष्ट्र	600
गोइंदवाल साहिब टीपीपी	पंजाब	540
हल्दिया टीपीपी	पश्चिम बंगाल	600
आईबी वैली टीपीएस	ओडिशा	420
आईटीपीसीएल टीपीपी	तमिलनाडु	1200
जोजोबेरा टीपीएस	झारखंड	240
जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	महाराष्ट्र	1200
कहलगाँव टीपीएस	बिहार	2340
काकतीय टीपीएस	तेलंगाना	1100
कमलंगा टीपीएस	ओडिशा	1050
कसाईपल्ली टीपीपी	छत्तीसगढ़	270
कवाई टीपीएस	राजस्थान	1320
खापरखेड़ा टीपीएस	महाराष्ट्र	1340
कोडरमा टीपीपी	झारखंड	1000
कोरबा एसटीपीएस	छत्तीसगढ़	2600
कोरबा-वेस्ट टीपीएस	छत्तीसगढ़	1340

कोटा टीपीएस	राजस्थान	1240
कोथागुडेम टीपीएस	तेलंगाना	720
कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	तेलंगाना	1000
महादेव प्रसाद एसटीपीपी	झारखंड	540
महान टीपीपी	मध्य प्रदेश	600
महात्मा गांधी टीपीएस	हरियाणा	1320
मारवा टीपीएस	छत्तीसगढ़	1000
मौदा टीपीएस	महाराष्ट्र	2320
मेत्तूर टीपीएस	तमिलनाडु	1440
नासिक टीपीएस	महाराष्ट्र	880
नवापारा टीपीपी	छत्तीसगढ़	600
निगरी टीपीपी	मध्य प्रदेश	1320
निवारी टीपीपी	मध्य प्रदेश	45
नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	तमिलनाडु	1830
ओबरा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1094
ओपी जिंदल टीपीएस	छत्तीसगढ़	1000
पानीपत टीपीएस	हरियाणा	920
पारस टीपीएस	महाराष्ट्र	555
पार्ली टीपीएस	महाराष्ट्र	1420
पथाडी टीपीपी	छत्तीसगढ़	600
रघुनाथपुर टीपीपी	पश्चिम बंगाल	1200
रायचूर टीपीएस	कर्नाटक	1720
रायखेड़ा टीपीपी	छत्तीसगढ़	1370
राजीव गांधी टीपीएस	हरियाणा	1200
साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	गुजरात	362
संथालडीह टीपीएस	पश्चिम बंगाल	980
सासन यूएमटीपीपी	मध्य प्रदेश	3960
सतपुड़ा टीपीएस	मध्य प्रदेश	1642.5
एसजीपीएल टीपीपी	आंध्र प्रदेश	1320
सिम्हापुरी टीपीएस	आंध्र प्रदेश	600
सिंगरौली एसटीपीएस	उत्तर प्रदेश	2000
सीपत एसटीपीएस	छत्तीसगढ़	2980
सोलापुर	महाराष्ट्र	660
साउदर्न रिपब. टीपीएस	पश्चिम बंगाल	135
सुरतगढ़ टीपीएस	राजस्थान	1500
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	ओडिशा	460
तालचेर एसटीपीएस	ओडिशा	3000
टोरंगल्लु टीपीएस (एसबीयू-1)	कर्नाटक	260
ट्रॉम्बे टीपीएस	महाराष्ट्र	1400
तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	तमिलनाडु	1000
तूतीकोरिन टीपीएस	तमिलनाडु	1050
उडुपी टीपीपी	कर्नाटक	1200
उकई टीपीएस	गुजरात	1110
ऊंचाहार टीपीएस	उत्तर प्रदेश	1550
विंध्याचल एसटीपीएस	मध्य प्रदेश	4760
वनकबोरी टीपीएस	गुजरात	1470
वर्धा वरौरा टीपीपी	महाराष्ट्र	540
यमुना नगर टीपीएस	हरियाणा	600

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2385

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

जम्मू और कश्मीर में डीडीयूजीजेवाई के अधीन कार्य-निष्पादन की स्थिति

2385. श्री नज़ीर अहमद लवाय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अधीन कार्य/कार्यक्रम की जिला-वार, वर्ष-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार की भविष्य में जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कोई नई योजना/स्कीम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2015-16 से 2017-18 के दौरान 67 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य और 11 विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया और 1230 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी तथा विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराके सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-‘सौभाग्य’ शुरू की है। जम्मू एवं कश्मीर सहित पूरे देश में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

सौभाग्य के अंतर्गत, ग्रामीण घरों के विद्युतीकरण हेतु जम्मू एवं कश्मीर को 130.91 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वितरण सुदृढीकरण परियोजनाओं हेतु 1157.75 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2385 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जम्मू व कश्मीर में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण (यूईवी), विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण (आईईवी) और बीपीएल घरों को जारी निःशुल्क विद्युत कनेक्शनों का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	2015-16			2016-17			2017-18		
		यूईवी	आईईवी	बीपीएल	यूईवी	आईईवी	बीपीएल	यूईवी	आईईवी	बीपीएल
1	बांदीपोर	-	-	-	-	-	-	3	-	-
2	डोडा	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	कारगिल	-	-	-	-	-	422	-	-	-
4	किश्तवाड़	-	-	-	3	-	-	8	-	-
5	कुपवाड़ा	10	-	-	1	-	-	7	-	-
6	लेह	8	10	420	1	-	-	-	-	-
7	राजौरी	-	-	-	-	-	0	3	-	-
8	रामबन	-	-	-	-	-	-	1	1	97
9	रियासी	1	-	-	-	-	-	13	-	-
10	उधमपुर	5	-	-	-	-	299	-	-	-
कुल		26	10	420	5	-	713*	35	1	97

टिप्पणी: * प्रारंभ में राज्य ने बीपीएल घरों की प्रगति 8 से अधिक सूचित की थी और बाद में इसे 2016-17 के दौरान सही कर दिया गया था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2386

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

भाखड़ा और पोंग बांधों को पूर्ण जलाशय स्तर तक भरा जाना

2386. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भाखड़ा और पोंग बांध अभिकल्पित पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) तक नहीं भरे जाते हैं;
- (ख) यदि हां, तो क्या आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर, बेहतर योजना निर्माण और पूर्वानुमान के जरिए इन बांधों को पूर्ण जलाशय स्तर तक भरा जा सकता है; और
- (ग) क्या भाखड़ा और पोंग जलाशयों के अधिकतम स्तर के निर्धारण के संबंध में अध्ययन करवाने के लिए सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को निर्देश देना आवश्यक है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भाखड़ा और पोंग बांध जल की उपलब्धता के अध्यधीन पूर्व निर्धारित पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) तक भरे जाते हैं।

(ख) और (ग) : बीबीएमबी ने सतलुज नदी (भाखड़ा बांध) और ब्यास नदी (पोंग बांध) पर जलाशयों के दक्ष प्रचालन के लिए वास्तविक-समय पर निर्णय लेने संबंधी सहायक प्रणाली (आरटीडीएसएस) नामक प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। बीबीएमबी ने सतलुज और ब्यास नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में पहले से ही जल स्तर रिकॉर्डिंग स्टेशन बना रखे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2387

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य का हासिल किया जाना

2387. श्री के. के. रागेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मई, 2018 हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हाँ। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में सभी आवासित जनगणना गाँवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया।

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2018 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2387 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	अप्रैल, 2015 से विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ़	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18374

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2388

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2018 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गांव का विद्युतीकरण

2388. श्री अजय प्रताप सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ग्रामों/टोलों के विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव/नीति है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : मध्य प्रदेश सौभाग्य योजना कार्यान्वित कर रहा है जो गाँव में सभी घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को अंतिम छोर की कनेक्टिविटी और निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराती है। मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण देश में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना का सुदृढीकरण दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत किया जाता है। मध्य प्रदेश डीडीयूजीजेवाई भी कार्यान्वित कर रहा है और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य के लिए 2,946.21 करोड़ रुपये के परियोजना कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
